

Request-123

भादेश

वित्तोप हस्त पुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के पैराग्राफ 246 संपादित राज्या
संख्या- ली-3-2279(2)/सं-2002-20(2)/2002-सौंवां
दिनांक 24-06-2002 के अन्तर्गत श्री - अविनाश सबसेना, अपर मुख्य
न्यायिक दण्डाधिकारी, मुंबई बरेली
को रु 10,000/- - रु 10,000/- का अग्रिम मोटर कार
खरीदने के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकार किया जाता है।

1. स्वीकृति की तिथि से एक माह की समय सीमा के अन्दर अग्रिम को धनराशि
रम समय तक नहीं निकालनी चाहिए जबकि उसको वास्तव में व्यय करने की
आवश्यकता न हो। उसके तुरन्त बाद मोटर कार का क्रय कर जो लागू अन्यथा भादेश
प्रद कर दिया जायेगा।

2. अग्रिम का खर्चा आधीरत करने के लिये तब प्रस्तुत करने के पूर्व एक अनुबन्ध
का फार्म नं० 25-ए पर भर कर मोधे रूप न्यायालय को भेजा जाय। तदुपरान्त
मोटर कार का क्रय किया जाय और अनुबन्ध पर की तिथि से एक माह के अन्दर फार्म
25 पर बन्धक का भर कर उसके प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर करके न्यायालय को
भेजा जाय।

3. यदि मोटर कार का वास्तविक मूल्य अग्रिम की धनराशि से कम हो तो बड़े
पूर्व धनराशि शीघ्र कोषागार में वापस कर दी जाय।

4. अग्रिम पर अनिश्चित रूप से - 16% - - प्रतिशत माधारण ब्याज लिया
जायेगा किन्तु निम्नलिखित सा में ब्याज/ब्याज के प्रतिदान/भुगतान होने पर ब्याज में
3.5 प्रतिशत को छूट दी जायेगी। ब्याज की जो दरें अंतिम रूप से निर्धारित होंगी
वह अग्रिमों को मान्य होंगी।

5. वित्तोप हस्त पुस्तिका खण्ड 5 भाग एक के पैराग्राफ 245(डो) में दिये गये
निर्णयों के अनुसार अग्रिम की कटौती श्री - सबसेना - - - - के वेतन से
- - 96 - - मासिक किश्तों में रु - 1030/- को दर में वसूल की जायेगी, जिनमें
अन्तिम किश्त रु - 1150/- की होगी। बूनधन को अदायगी के तुरन्त बाद ब्याज
की किश्तों को अदायगी की जायेगी।

6. अग्रिम का प्रयोग किराया क्रय पद्धति के आधार पर या किश्तों पर मोटर कार
खरीदने में नहीं किया जायेगा।

(Handwritten mark)

Leaunt-123

:2:

17. मोटर कार खरीदने जाने के एक पाह के भीतर उसका कम्प्रेडिन्सव इन्श्योरेंस करा दिया जाय और सम्बन्धित लोपा पालिसी का नवीनीकरण कराकर उस समय तक चालू रखा जाय जब तक अग्रिम पूर्ण रूप से भुगतान न कर दिया जाय। लोपा पालिसी में लोपा पालिसी या अन्य प्रमाणक मोटर कार मूल्य के प्रमाणक तथा बचो धनराशि यदि कोई हो तो शासन को लौटाने की तिथि को सूचना के साथ न्यायालय को भेजे जाय।

18. शासन/न्यायालय द्वारा अपेक्षा किये जाने पर अथवा स्वीचक सेवा निवृत्ति पर नर्शाये शेष धनराशि ब्याज सहित एक मुश्त में देय होगी।

19. इस सम्बन्ध में हुए वय्य चालू वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आ-वय्यक में वित्त विभाग को अनुदान संख्या 61 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-7610-परकारो कर्मचारियों को कर्न-भागेनितर-202-मोटर वाहन का क्रय करने के लिये अग्रिम-03-राज्य कर्मचारियोंको मोटर वाहन क्रय करने के लिये अग्रिम -30 निदेश/अग्रिम के नामे डाला जायगा जारीहोये।

दिनांक 01-09-2002

X K.S.O.
महानिबन्धक

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

Akshayam.
12-8-2002